

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(43)नविवि / 3 / 2000

जयपुर, दिनांक :

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12.11.2003 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 10.01.2022 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अंतर्गत अनुमोदित बाड़ी मास्टर प्लान 2023 की समयावधि क्षितिज वर्ष—2023 को समाप्त हो रही है, की एतद्वारा एक वर्ष की अवधि अथवा नवीन मास्टर प्लान प्रारूप के प्रकाशन होने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जाता है।

यह मास्टर प्लान इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.01.2000 के द्वारा अधिसूचित ‘बाड़ी नगरीय क्षेत्र’ के लिए लागू रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव —प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगर विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, धौलपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बाड़ी (जिला—धौलपुर)।
11. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref

6180929

शासन उप सचिव —प्रथम

